- (b) All the non-faculty staff shall be superannuated at the end of the month in which he/she attains the age of 60 years".
- 5. In the said Statutes, in Statute 14, in Table II, against the post of Dean, in column (2), in clause (b), for the figures "62", the figures "65" shall be substituted.

[F.No:- 50020/29/2015-NIPER (Pt.)]

RAJNEESH TINGAL, Jt. Secy.

Footnote: - The Principal Statutes were published vide G.S.R. 391 dated the 30th October, 2003 in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section(i) and last amended vide G.S.R. 433(E) dated 3rd July, 2014 published in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section(i).

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

सा.का.िन.356.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, भण्डारी, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2010 उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में भण्डारी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, भण्डारी, समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति = इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनसची

च सुर्भा					
पद का	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले
नाम				अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु
					सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भण्डारी	31* (2019)	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4	अचयन	लागू नहीं होता
	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित	(₹.25,500-81,100)		
	सकता है।)	अनुसचिवीय			

वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। (11)

प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (रु19,900-63,200) में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में सहायक भण्डारी के रूप में उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।

प्रशिक्षण: राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और शोध संस्थान, रायपुर में या किसी अन्य मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से स्तर 2 में तात्विक संभलई , भंडारण और भंडार लेखांकन में दो सप्ताह का प्रशिक्षण ।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ
		लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय/प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के		लागू नहीं होता
लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:		
1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	अध्यक्ष	
2. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य	

[फा. सं. ए- 31013/03/2019-जीडब्ल्यूई] शांतन् रक्षित,अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 22nd October, 2019

- **G.S.R.356.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Store Keeper, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Store Keeper in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Store Keeper, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
 - 4. **Disqualifications.** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-serviceman, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

SCHEDULE					
Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Store Keeper	31* (2019)	General Central	Level-4	Non-selection	Not Applicable.
	*Subject to variation	Service, Group 'C',	(Rs.25,500-		
	dependent on	Non-Gazetted,	81,100/-)		
	workload	Non-ministerial			

Educational and other qualifications required for direct recruits	ϵ	if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Nil	By promotion

In case of recruitment by promotion or	If a Departmental Promotion Committee	Circumstances in
deputation / absorption grade from which	exists, what is its composition.	which Union Public
promotion or deputation / absorption is to be		Service Commission
made.		to be consulted in
		making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
Assistant Store Keeper in level-2 (Rs.19,900-	Committee (for considering promotion)	
63,200/-) in the pay matrix in Central Ground	consisting of:	
Water Board with eight years regular service in		
the grade.	1.Director (Administration), Central Ground	
Training:	Water Board – Chairman;	
Two weeks training on material handling,		
storekeeping and stores accounting Level-2	2. Superintending Engineer, Central Group	
from National Ground Water Training and	Water Board - Member; and	
Research Institute, Raipur or any other national		
level recognised Institute.	3. Administrative Officer, Central Ground	
Note:- Where juniors who have completed their	Water Board – Member.	
qualifying or eligibility service are being		
considered for promotion, their seniors would		
also be considered provided they are not short		
of the requisite qualifying or eligibility service,		
or two years, whichever is less, and have		
successfully completed their probation period		
for promotion to the next higher grade		
alongwith their juniors who have already		
completed such qualifying or eligibility service.		

[F.No.A.31013/03/2019/GWE] SANTANU RAKSHIT, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2019

सा.का.िन.357.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (चित्रकार) भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में चित्रकार पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (चित्रकार) भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता.—** वह व्यक्ति
 - (ग) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या विवाह की संविदा की है; या
- (घ) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।